सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–। आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2019/52 दर्ज तिथिः–03.07.2019

1. नारायणप्रसाद पुत्र मालाराम जाति माली निवासी रतननगर तहसील वा जिला चूरू

..................वादी

बनाम

1. नागरमल पुत्र मालाराम जाति माली निवासी रतननगर तहसील वा जिला चूरू
2. मदनलाल पुत्र मालाराम जाति माली निवासी रतननगर तहसील वा जिला चूरू
3. राजेन्द्रकुमार पुत्र मालाराम जाति माली निवासी रतननगर तहसील वा जिला चूरू

..................प्रतिवादीगण

4. बैंक आफ बडौदा शाखा रतननगर जरिये शाखा प्रबंधक
5. स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा रतननगर जरिये शाखा प्रबंधक
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू (राज.)

..................गौण प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः–श्री ऋषिराजसिंह शेखावत
प्रतिवादी सं. 1ः–श्री कृपालसिंह
प्रतिवादी सं. 3ः–श्री राजेन्द्र राजपुरोहित

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 53, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

: पर्चा डिक्री :

दावा वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अन्तर्गत धारा–53 बाबत् तकसीम आराजी तहसीलदार, चूरू से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव [illegible] के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि हाल [illegible] संख्या 1004/537/6.7658 हेक्टेयर, खसरा संख्या 1008/591/1.6188 हेक्टेयर व खसरा संख्या [illegible]4.0595 हेक्टेयर कुल तादादी 12.4441 हेक्टेयर रोही मौजा रतननगर तहसील व [illegible] जात रिपोर्ट मय नक्शा [illegible] नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के म[illegible] राजस्व रिकॉर्ड में खाता [illegible] दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार चूरू को दिये जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:34:00 IST
Reason: SelfAttested

क्र. सं.	नाम खातेदार मय विवरण	खसरा संख्या	रकबा हैक्टेयर में	किस्म भूमि
1.	1. नारायण प्रसाद पुत्र मालाराम जाति माली निवासी रतननगर खातेदार	1004/537 मिन किता 1	3.1110 3.1110	बारानी बारानी
2.	1.नागरमल पुत्र मालाराम 1/3 हि. जाति माली निवासी रतननगर खातेदार राहिन हिस्सा 1/3 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रतननगर 2.मदनलाल पुत्र मालाराम 1/3 हि. जाति माली निवासी रतननगर खातेदार हिस्सा 1/3 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रतननगर 3.राजेन्द्र कुमार पुत्र मालाराम 1/3 हि. जाति माली निवासी रतननगर खातेदार हिस्सा 1/3 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा रतननगर	536 1008/591 1004/537 मिन किता 3	4.0595 1.6188 3.6548 9.3331	बारानी बारानी बारानी बारानी

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करें। तहसीलदार, चूरू को डिक्री के अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। विभाजन की कार्यवाही एवं उसके परिणामस्वरूप किया जाने वाला बंटवारा बैंक के पूर्ववर्ती अधिकारों, बंधक अथवा चार्ज के अधीन रहेगा। संबंधित बैंक को विधि अनुसार अपना बकाया वसूल करने एवं विधिक कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।

यह डिक्री आज दिनांक 06.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:34:00 IST
Reason: SelfAttested